

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर (राज0)

निविदा विज्ञप्ति

क्रमांक :अखअ/भरत/ईआरसीसी-आरसीसी/08-09/448

दिनांक - 26/03/2009

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 32,35, एवं 37 में वर्णित शर्तों एवं अनुबन्धों व प्रदत्त अधिकारों के तहत इस वृत्त के अधीन निम्न अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका दिये जाने हेतु सील बन्द निविदायें निम्नांकित तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित की जाती है । अंकित तिथि को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में ली जावेगी एवं खोली जावेगी ।

क्र. सं.	ठेका क्षेत्र का विवरण	खनिज	ठेके की आरक्षित राशि रुपया (वाषिक)	ठेके की अवधि	निविदा प्राप्त किये जाने का दिनांक समय व स्थान	निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान
खनि अभियन्ता अलवर कार्य क्षेत्र						
अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका						
1	तहसील राजगढ़ की राजस्व सीमा में स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	मार्बल	550 लाख	संविदा निष्पादन की तिथि से 31.03.2011 तक	दिनांक 16.04.2009 को समय 11 ए.एम. से 3 पी.एम., कार्यालय निदेशक खान उदयपुर एवं कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान जयपुर	दिनांक 17.04.2009 दोपहर 12 बजे कार्यालय कार्यालय निदेशक खान उदयपुर


उपरोक्त ठेके में निविदा प्रपत्र, विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यप्रति प्रस्तुत करने पर रूपया 210/- नकद जमा करवा कर सम्बन्धित खनि अभियन्ता कार्यालय एवं जहाँ निविदा प्राप्त/ खोली जानी है, उस कार्यालय से दिनांक 15.04.2009 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं । राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 35 (d)( i ) के अनुसार प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ निम्न धरोहर राशि व दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. धरोहर राशि-

(अ.) रूपया 2 करोड़ तक की निविदा राशि हेतु निविदा राशि का 10 प्रतिशत,

(ब.) रूपया 2 करोड़ से अधिक की निविदा राशि हेतु रूपया 20 लाख रूपये 2 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त अधिक निविदा राशि का 1 प्रतिशत ।

2. ठेके के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण / शर्तों की जानकारी/ पंजीयन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित खनि अभियन्ता व इस कार्यालय से, कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। उक्त निविदा विभागीय वेबसाईट [www.dmg-raj/notices-hindi-hmt](http://www.dmg-raj/notices-hindi-hmt) पर भी उपलब्ध है।

  
 अधीक्षण खनि अभियन्ता  
 भरतपुर वृत्त, भरतपुर